RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur.
Phone: 0141-2711329

IMMEDIATE

क्रमांकः F.14(5-Admn)RPCB/Plg./ 654-676 . Dated : 08/07/2020

आदेश

विषयः:- विभिन्न इकाईयों से ली जाने वाली बैंक गारण्टी के सम्बन्ध में निर्देश।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट से विभिन्न प्रावधानों के तहत बैंक गारण्टी लिये जाने के सम्बन्ध में मण्डल द्वारा समय-समय पर कार्यालय आदेश जारी किये गये हैं। उक्त बैंक गारण्टी लेने, उसका सत्यापन करने, उक्त गारण्टी की समाप्ति(Expiry) तिथि से यथेष्ठ समय पूर्व उसका नवीनीकरण करवाने तथा आवश्यकता पडने पर बैंक गारण्टी जब्त करने की प्रक्रिया काफी दोष पूर्ण है व संभवतया जिम्मेदार आदमी समय रहते इस पर ध्यान नहीं देते हैं।

उक्त खामियों को दूर करने के लिये मण्डल द्वारा पूर्व में जारी आदेशों दिनांक 23.06.2006 व 17.08.2006 की निरन्तरता में निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

1. बैंक गारण्टी का सत्यापन करने, बैंक गारण्टी को safe custody में रखने, नवीनीकरण तथा expiry से पूर्व जब्त करने की समस्त प्रक्रिया लेखा शाखा द्वारा ही संपादित की जावेगी।

2. संबंधित शाखाओं द्वारा प्राप्त बैंक गारण्टी को उसी दिन लेखा शाखा में स्थानान्तरित किया जावे।

3. बैंक गारण्टी के दस्तावेज मण्डल को प्राप्त होते ही उसी दिन संबंधित बैंक शाखा से सत्यापन करवाया जावे।

4. बैंक गारण्टी समाप्ति की तिथि से कम से कम 1 माह पूर्व संबंधित पी.पी.(Project Proponent) को उक्त बैंक गारण्टी को नवीनीकरण कराने हेतु निर्देशित किया जावे।

5. यदि बैंक गारण्टी समाप्ति की तिथि से पूर्व उसका नवीनीकरण नहीं करवाया जाता है तो उक्त राशि को समय रहते encash करवाकर मण्डल के बैंक खाते में जमा कराया जावे।

6. सक्षम स्तर पर बैंक गारण्टी की राशि जब्त करने का निर्णय होते ही जब्त होने के अधिकतम 7 दिवस या बैंक गारण्टी की समाप्ति की तिथि, जो भी पहले हो, उस तिथि तक उसे मण्डल के बैंक खाते में हस्तान्तरित करवा लिया जावे।

7. मण्डल के पूर्व में जारी आदेश दिनांक 24.5.2007 के अनुसार बैंक गारण्टी के स्थान पर मण्डल को Guarantee Money के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट(सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर के पक्ष में) भी जमा किया जा सकता है जिसका संपूर्ण रिकार्ड लेखा शाखा/संबंधित शाखा द्वारा संधारित किया जावे।

8. जिन शाखाओं में उद्योगों से प्राप्त बैंक गारण्टी लम्बित है, शाखा प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि सूची बनाकर बैंक गारण्टी मूल प्रति में ही मुख्यालय की लेखा शाखा को safe custody में रखने व अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20.07.2020 तक प्रस्तुत करें। बैंक गारण्टी की फोटो प्रति शाखा की संबंधित पत्रावली में भी आवश्यक रूप से लगावें।

--2

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur.
Phone: 0141-2711329

9. प्रत्येक शाखा में बैंक गारण्टी के संबंध में अद्यतन जानकारी निम्न प्रपत्र में दिनांक 20.07.2020 तक अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें:–

क्र. सं.	उद्योग का नाम व पता	बैंक गारण्टी लिये जाने का कारण	बैंक गारण्टी लिये जाने की तिथि	बैंक गारण्टी की राशि	बैंक शाखा का नाम व पता	बैंक गारण्टी की वैद्यता तिथि	सत्यापन की तिथि	जिस कारण से बैंक गारण्टी प्रस्तुत की गई है, उसके पूर्ण होने की समयावधि	शर्तो की पालना की वर्तमान स्थिति	यदि वैद्यता तिथि निकल गयी तो उसके नवीनीकरण /Encashment की स्थिति	यदि नवीनीकरण /Encashment नहीं करवाया गया तो कौन जिम्मेदार है?
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

10. लेखा शाखा में बैंक गारण्टी के संबंध में सूचना रजिस्टर में निम्न प्रारूप में संधारित की जावेगी तथा सूचनाओं को विभिन्न शाखाओं से संकलित कर अद्यतन स्थिति इसी प्रारूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को दिनांक 20.07.2020 तक प्रस्तुत की जावे:–

क्र. सं.	उद्योग का नाम व पता	बैंक गारण्टी लिये जाने की तिथि	बैंक गारण्टी की राशि	बैंक शाखा का नाम व पता	बैंक गारण्टी की वैद्यता तिथि	सत्यापन की तिथि	यदि वैद्यता तिथि निकल गयी हो उसके नवीनीकरण /Encashment की स्थिति	यदि नवीनीकरण /Encashment नहीं करवाया गया तो कौन जिम्मेदार है?	मुख्यालय की संबंधित शाखा
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

–sd–
(पवन कुमार गोयल)
अध्यक्ष

क्रमांक: F.14(5-Admn)RPCB/Plg./ 654-676 . Dated : 08/07/2020.

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर।
2. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर को लेख है कि लेखा शाखा में लेखाकारों को बैंक गारण्टी को safe custody में रखने एवं रिकार्ड का संधारण किये जाने हेतु निर्देशित करें।
6. शाखा प्रभारी, स्थापना, सी.पी.पी., बी. एवं सी., विविध उद्योग, टेक्सटाईल, माइन्स, एस.सी.एम.जी., हजार्ड्स व अन्य वेस्ट, एच.ओ.जी., आई.टी., प्रोजेक्ट, सी.डी., पी.डी.एफ., विधि, पी.सी.वी. व ई. सी., बी.एम.डब्ल्यू.,योजना, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर।

अध्यक्ष